

एनपीवी आंकलन प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर, डोड़हर, अधौरा, मिटिहिनी, खैरी, सिरसोती, झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

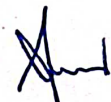
उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ०नं० 8-412/1989-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में एनपीवी की गणना एवं पूर्व में जमा एनपीवी की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०) में	प्रस्तावित वन भूमि का इको वैल्यू	इको वैल्यू के क्लास III के अनुसार एनपीवी की दर प्रति हे० (रु०) में	एनपीवी की कुल धनराशि (रु०) में
1	555.759	Open Forest	9,57,780.00	53,22,94,855.00
2	एनटीपीसी द्वारा पूर्व में जमा एनपीवी की धनराशि (डीडी नं०-994461/10.07.2010)			25,80,67,360.00
3	जमा होने योग्य अवशेष धनराशि			27,42,27,495.00
	अवशेष धनराशि शब्दों में -			रु० सत्ताईस करोड़ बयालिस लाख सत्ताईस हजार चार सौ पंचानवे मात्र


 (मनमोहन मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 जरहाँ रेंज
 रेनुकूट वन प्रभाग
 सोनभद्र

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से


 (अनित कुमार)
 उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)
 अनित कुमार / ANIT KUMAR
 उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
 एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
 सोनभद्र (स०प्र०)/Sonbhadra (S.P.) 231223

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने हेतु प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर, डोड़हर, अधौरा, मिटिहिनी, खैरी, सिरसोती, झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ०नं० 8-412/1989-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार / उ०प्र० सरकार के निर्देशानुसार जो भी एन०पी०वी० धनराशि निर्धारित की जाएगी उसे एनटीपीसी रिहंद द्वारा पूर्व में रेनुकूट वन प्रभाग को इस मद में जमा किए गए 25,80,67,360 (पच्चीस करोड़ अस्सी लाख सड़सठ हजार तीन सौ साठ) को समायोजित करते हुये एन०पी०वी० की शेष राशि एनटीपीसी रिहंद परियोजना द्वारा जमा करने हेतु वचन बद्धता प्रस्तुत किया जाता है।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से



(संतोष कुमार उपाध्याय) (मनमोहन मिश्र)

उपमहाप्रबंधक (मा०सं०) प्रभागीय वनाधिकारी,

संतोष कुमार उपाध्याय वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

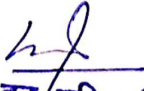
Santosh Kumar Upadhyay

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

Dy. General Manager (HR)

एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प्र.) 231223

NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223


क्षेत्रीय वन अधिकारी

जरहों रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट



उप प्रभागीय वनाधिकारी (म्योरपुर)

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) में हुई बढ़ोतरी की धनराशि जमा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर, डोड़हर, अधौरा, मिटिहिनी, खैरी, सिरसोती, झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ०नं० 8-412/1989-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार / सक्षम स्तर से भविष्य में यदि एन०पी०वी० की दर में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई धन राशि का भुगतान एनटीपीसी की रिहंद परियोजना द्वारा किया जाएगा।

↓
(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
सोनभद्र

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से


(अनित कुमार)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (U.P.)/Sonbhadra (U.P.) 231223

एन०पी०वी० की दंडात्मक धनराशि जमा करने हेतु वचन बद्धता प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर, डोड़हर, अधौरा, मिटिहिनी, खैरी, सिरसोती, झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ०नं० 8-412/1989-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार / उ०प्र० सरकार के निर्देशानुसार जो भी दंडात्मक एन०पी०वी० की धनराशि निर्धारित की जाएगी उसे एनटीपीसी रिहंद द्वारा जमा करने का वचन बद्धता प्रस्तुत किया जाता है।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से


(अनित कुमार)
उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonbhadra (U.P.) 231223